न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/99/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/345

अपीलार्थी बनाम **प्रत्यर्थी**

श्री विष्णु चावडा
निवासी–50–51, शिव कॉलोनी, तिजारा फाटक,
अलवर–301001 (राज.)

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 16.08.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 29.08.2022

1. अपीलार्थी अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 13.05.2022 के माध्यम से अलवर जिला कलक्टर पद पर रहे श्री नन्नूमल पहाडिया के राज्य सरकार द्वारा किये गये स्थानान्तरण आदेश, स्थानान्तरण पर जारी कार्यमुक्ति आदेश, भारतमाला प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अलवर जिले में किये जा रहे कार्य के संबंध में NHAI द्वारा प्रदान किये गये आदेश आदि संबंधी कुल 06 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. उक्त आवेदन के बिन्दु सं.02 के अतिरिक्त अन्य कोई भी सूचना प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक: 05.08.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।
5. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं किन्तु पत्र सं. 2149 दिनांक: 23.08.2022 के माध्यम से, जिसकी प्रति अपीलार्थी के साथ–साथ अन्य उच्चाधिकारी कार्यालयों को भी प्रेषित की गई है, जवाब नोटिस मय संलग्नक पेश किया गया। जवाब का विधिक परीक्षण किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक: 13.05.2022 के बिन्दु सं. 1 व 03 लगायत 06 की विषयवस्तु अन्य कार्यालयों से संबंधित होने के कारण, मूल RTI आवेदन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत पत्र सं. 1241–43 दिनांक: 19.05.22 के माध्यम से **संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, राज0 सरकार, जयपुर (बिन्दु सं.01) को एवं सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (बिन्दु सं.03 से06 तक) सूचना उपलब्ध कराने हेतु अन्तरित** किया जा चुका है, प्रति संलग्न है।
7. इसी निरन्तरता में सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पत्र सं. राजस्व/भूमि अवाप्ति/आर.टी.आई./2022/19589–91 दिनांक: 03.06.22 के माध्यम से सूचना आवेदन के बिन्दु सं. 03 लगायत 06 के संबंध में मूल आवेदन, कार्यालय परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परिजना कार्यान्वयन इकाई, सोहना, प्लॉट नं. 106, पी. ब्लॉक, उप्पल साउथइन्ड, सेक्टर नं. 48, गुरुग्राम–122018 (हरियाणा) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया गया है (जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है) प्रति संलग्न है।
8. प्रत्यर्थी एवं सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा अन्तरित किए गए कार्यालयों (सूचना आवेदन) के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय का नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी को चाहिए कि वो **अपील प्रा0पत्र दिनांक: 05.08.22 में उल्लेखित/वांछित सूचना के संबंध में उक्तानुसार संबंधित कार्यालयों से संपर्क स्थापित करें।**
9. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
10. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर को भी प्रेषित हो।
12. आज दिनांक: 29.08.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)